भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4764

दिनांक 28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय और प्रोत्साहन

†4764. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रनः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय और प्रोत्साहन में वृद्धि करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है कि केरल में आशा कार्यकर्ता मानदेय और प्रोत्साहन के संवितरण में देरी के कारण हड़ताल पर हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या केरल में आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय और प्रोत्साहन के लिए कोई राशि/निधि केन्द्र सरकार की ओर से बकाया है, यदि हां, तो बकाया राशि का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) देश में आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय, प्रोत्साहन, उपदान की प्रचलित दरों और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के बारे में राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय/पारिश्रमिक के व्यापक पुनरीक्षण संबंधी अध्ययन करने हेतु एक समिति नियुक्त करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): आशाकर्मी के समर्थन सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के सुदृढीकरण की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत की गई आवश्यकताओं और समग्र संसाधन परिप्रेक्ष्य के आधार पर उनकी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के सुदृढीकरण के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

आशाकर्मी को नियमित और आवर्ती गतिविधियों के लिए देश में 2000 रुपए प्रति माह का एक निश्चित मासिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके अतिरिक्त, उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत विभिन्न गतिविधियों के लिए निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशाकर्मी) के लिए प्रोत्साहन संरचना को नियमित रूप से संशोधित किया गया है ताकि कार्यक्रम संबंधी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करने के लिए प्रोत्साहनों को समय-समय पर जोड़ा जा सके। आशाकर्मी प्रोत्साहनों का विवरण निम्नलिखित यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर (URL) पर उपलब्ध है:
https://nhm.gov.in/New-Update-2023-24/ASHA/Orders_and_guidelines/ASHAINCENTIVES.pdf

इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आशाकर्मी को अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए लचीलापन भी दिया गया है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर के शुभारंभ के बाद, आशाकर्मी निगरानी निष्पादन संकेतकों (प्रति माह 1000 तक) के आधार पर एएनएम के साथ-साथ टीम आधारित प्रोत्साहन (टीबीआई) के लिए अतिरिक्त रूप से पात्र हैं। आशाकर्मी गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन जैसे - आशाकर्मी वर्दी, पहचान पत्र, साइकिल, मोबाइल, सीयूजी सिम, आशा-डायरी, ड्रग किट, आशा विश्राम कक्ष आदि के भी पात्र हकदार हैं। सरकार ने कम से कम 10 साल तक आशाकर्मी के रूप में काम करने के बाद कार्यक्रम छोड़ने वाली आशाकर्मियों को उनके योगदान की स्वीकृति के रूप में ₹20,000/- का नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देने की भी मंजूरी दी है।

वर्ष 2018 में, आशाकर्मी के महत्वपूर्ण योगदान और प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हुए आशा लाभ पैकेज की शुरुआत की गई थी। पैकेज निम्नलिखित के लिए कवरेज प्रदान करता है:

- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) जिसमें बीमाधारक की मृत्यु होने पर 2.00 लाख रुपए की राशि दी जाएगी (भारत सरकार द्वारा वार्षिक प्रीमियम का अंशदान)।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) जिसमें दुर्घटनावश मृत्यु या स्थायी विकलांगता होने पर 2.00 लाख रुपये का लाभ दिया जाएगा; आंशिक विकलांगता होने पर 1.00 लाख रुपए की राशि दी जाएगी (भारत सरकार द्वारा वार्षिक प्रीमियम का अंशदान)।

इसके अलावा, आशाकर्मियों के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन लाभ के साथ प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन (पीएम-एसवाईएम) भी उपलब्ध है (प्रीमियम का 50% भारत सरकार द्वारा और 50% लाभार्थियों द्वारा अंशदान)। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के आशाकर्मियों को निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार उपर्युक्त सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नामांकित किया गया है।

साथ ही, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत सभी आशाकर्मियों 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य परिचर्या वार्षिक कवरेज को दिया गया है।

केरल सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कुछ आशाकर्मी हड़ताल कर रहे हैं, उनकी मांगों में राज्य विशेष प्रोत्साहन राशि को 7000/- रुपए से बढ़ाकर 21000/- रुपए करना, तीन महीने (नवंबर, 2024 से जनवरी, 2025) के लिए लंबित आशाकर्मी मानदेय और प्रोत्साहन राशि का भुगतान, आशाकर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष निर्धारित करने वाले मौजूदा राज्य सरकार के आदेश को रद्द करना/वापस लेना/स्थगित करना, उचित सेवानिवृत्ति की आयु पर सेवानिवृत्ति करने वाली आशाकर्मियों के लिए 5 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करना और सेवानिवृत्ति के कार्यभार में छूट देना शामिल हैं। माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, केरल सरकार और मिशन निदेशक (एनएचएम) के नेतृत्व में कई मध्यस्थता बैठकें बुलाई गई हैं और नवंबर, 2024 से फरवरी, 2025 तक के लिए देय प्रोत्साहनों को मंजूरी दे दी गई है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को लचीले पूल के तहत एकमुश्त आधार पर निधियां जारी की जाती है ताकि राज्यों को उनकी आवश्यकता और प्राथमिकताओं के अनुसार निधियों का उपयोग करने के लिए अधिक लचीलापन प्रदान किया जा सके, इसलिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को आशा गतिविधियों के लिए कोई अलग से धनराशि जारी नहीं की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत केरल राज्य को जारी की गई केंद्रीय राशि 1350.67 करोड़ रुपए (26.03.2025 की स्थिति के अनुसार) है।

*****